न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 01/2021 (2021/12)

सुरजाराम पुत्र श्योकरण जाति जाट गोदारा निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप पुत्र माहीसुख जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र माहीसुख जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
3. रामानन्द पुत्र माहीसुख जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
4. लहरीसिंह पुत्र माहीसुख जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
5. सुभाषचन्द्र पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
6. ननीदेवी पत्नि रणजीतसिंह उर्फ जीतराम जाति जाट
7. प्रहलाद पुत्र रणजीतसिंह उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
8. कृष्णा पुत्री रणजीतसिंह उर्फ जीतराम पत्नि बलवान जाति जाट निवासी रामगढ़िया हाल भिरानी तहसील भादरा।
9. सन्तोष पुत्री रणजीतसिंह उर्फ जीतराम पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ़िया हाल भनाई तहसील भादरा।
10. कलावती पुत्री रणजीतसिंह उर्फ जीतराम पत्नि सरजीत जाति जाट निवासी रामगढ़िया हाल भनाई।
11. मन्जु पुत्री रणजीतसिंह उर्फ जीतराम पत्नि रतनसिंह जाति जाट निवासी रामगढ़िया हाल भनाई तहसील भादरा।
12. शकुन्तला पुत्री रणजीतसिंह उर्फ जीतराम पत्नि बलवान जाति जाट निवासी रामगढ़िया हाल छानीबड़ी तहसील भादरा।
13. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा जोगीवाला जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा जोगीवाला।
14. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा छानीबडी जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी।
15. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री सुभाषचन्द्र शर्मा **: प्रार्थी**

वकील श्री राजेन्द्र जाखल **: अप्रार्थीगण सं0 1 ता 11**

निर्णय **दिनांक :** 31/8/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/110 के मु0नं0 60 के किला नं0 19 व 20 की 0.506 है0 जिसमें नहरी 0.480 है0 एवं गैर मु0रास्ता 0.026 है0 राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक नं0 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 36/32 के मु0नं0 60 के किला नं0 18, 22/1, 23/1 की 0.5310 है0 खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त व मुश्तर्का खातेदारी राजरव रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी की उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 19 व 20 में किला लाईन के उत्तरी तरफ पूर्व व पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई में मौका पर चालू रास्ता है एवं अप्रार्थीगण की चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 36/32 के मु0नं0 60 के किला नं0 18 के पूर्वी तरफ किला लाइन के पास उतर से दक्षिण सदामत से चालु रास्ता स्थित है। प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ते से होकर किला नं0 18 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौड़ाई यानि 0.013 है0 रास्ता से होकर अपने खेत में प्रवेश करता आ रहा है एवं इसी रास्ता का निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ता सरल व सुगम व सुविधाजनक रास्ता है एवं इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी इसी रास्ता से अपना ऊंट गाडा, ट्रैक्टर आदि सदैव से लाता ले जाता रहता है। उक्त चालू रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं होने का अनूचित फायदा उठाते हुवे अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द कर प्रार्थी को अपने खातेदारी में जाने से रोकने पर तुले हुए है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/110 के मु0नं0 60 के किला नं0 19 व 20 की 0.506 है0 जिसमें नहरी 0.480 है0 एवं गैर मुम0रास्ता 0.026 है0 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण की चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 36/32 के मु0नं0 60 के किला नं0 18 के चिपते हुवे पूर्वी तरफ किला लाइन के पास चलने वाले उतर से दक्षिण रास्ते से किला नं0 18 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई यानि 0.013 है रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थी अप्रार्थीगण के उपरोक्त रास्ता स्वीकृत कराने की एवज में प्रार्थी अपनी भूमि में से अप्रार्थीगण को उसकी भूमि के चिपते हुवें भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है एवं विकल्प में डीएलसी रेट से रूपये अदायगी करने को तत्पर व तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 12 क्रमश : प्रताप, मोहनलाल, रामानन्द, लहरीसिंह, सुभाषचन्द्र, ननीदेवी, प्रहलाद, कृष्णा, सन्तोष, कलावती, मन्जु, शकुन्तला ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 11 क्रमशः प्रताप, मोहनलाल, रामानन्द, लहरीसिंह, सुभाषचन्द्र, ननीदेवी, प्रहलाद, कृष्णा, सन्तोष, कलावती, मन्जु, शकुन्तलाका आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सहमत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी चक 10जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 36/32 के मु0नं0 60 के किला नं0 18 में से होते हुए अपने खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं0 1 ता 12 क्रमश : प्रताप, मोहनलाल, रामानन्द, लहरीसिंह, सुभाषचन्द्र, ननीदेवी, प्रहलाद, कृष्णा, सन्तोष, कलावती, मन्जु, शकुन्तलाने आपसी सहमति से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
... (जिला-हनुमानगढ़)

बाबत राजीनामा कर लिया है। अन्य पक्षकारान ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करते हेतु अन्य कोई निकटतम दूरी का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/110 के मु0नं0 60 के किला नं0 19 व 20 की 0.506 है0 में आवागमन हेतू अप्रार्थीगण की चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 36/32 के मु0नं0 60 के किला नं0 18 के चिपते हुवे पूर्वी तरफ किला लाइन के पास चलने वाले उतर से दक्षिण रास्ते से किला नं0 18 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फुट चौडाई यानि 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। रास्ता में गई भूमि की एवज में प्रार्थी की खातेदारी चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/110 के मु0नं0 60 के किला नं0 19 में से दक्षिणी तरफ 0.013 है0 भूमि किला नं0 22 के उतरी तरफ चिपते हुवे अप्रार्थीगण प्रताप, मोहनलाल, रामानन्द, लहरीसिंह, सुभाषचन्द्र, ननीदेवी, प्रहलाद, कृष्णा, सन्तोष, कलावती, मन्जु, शकुन्तला के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....31/8/21.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी R.A.S.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़